प्रकाशन हेतु अनुमोदित

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

रिट याचिका(सिविल) क्रमांक- 4933/2008

याचिकाकर्ता- एच.एल.श्रीवास।

विरुद्ध

उत्तरवादी - छत्तीसगढ़ शासन व अन्य।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: याचिकाकर्ताओं के लिए श्री के.आर.नायर, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 के लिए श्री आर.एस.पटेल, अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 5 नवंबर 2012 को पारित)

1. इस रिट याचिका(सिविल)में शामिल तथ्य रिट याचिका (सिविल) क्रमांक-2438/1997 (छत्तीसगढ़ खदान कारखाना मजदूर यूनियन एवं अन्य विरुद्ध प्रबंधन, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य) और अन्य संबंधित मामलों के समान हैं, जिनका निराकरण आज एक भिन्न निर्णय से किया जा रहा है।
2. इस याचिका में दिनांक 14.08.2008 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती दी गई है, जिसमें गैर-शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, घोरदेवा, कटघोरा को दी गई मान्यता रद्द कर दी गई है, और उस विद्यालय के छात्रों को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बाँकीमोंगरा से जोड़ दिया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति न तो याचिकाकर्ता है और न ही याचिका में उत्तरवादी पक्ष है। इस प्रकार, विद्यालय प्रबंधन समिति /सोसाइटी, जो

वास्तव में आदेश से पीड़ित हो सकती है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसा लगता है कि वह पीड़ित नहीं है क्योंकि विद्यालय प्रबंधन समिति /सोसाइटी ने इस न्यायालय की शरण नहीं ली है।

3. याचिकाकर्ताओं द्वारा दर्शित तथ्य संक्षेप में ये हैं कि संबंधित विद्यालय साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (संक्षेप में एस.ई.सी.एल) के अधिकारियों की प्रबंधन समिति यों या उसके पूर्ववर्ती अधिकारियों द्वारा स्थापित और प्रबंधित किया गया था। नियुक्ति आदेशों में से एक शर्त यह थी कि विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को शासकीय वेतनमान के अनुसार वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। उक्त चयन के पश्चात, याचिकाकर्ताओं को उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा विद्यालय को मान्यता मिलने से काफी पहले नियुक्त किया गया था। विद्यालय को पहली बार साल 1985 में मान्यता मिली थी (अनुलग्नक पी/2)। उत्तरवादी राज्य द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 के तहत बनाए गए विनियमन 73 के अनुसार, उन स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक जिन्हें कोई सहायता अनुदान नहीं मिलता है, वे भी शासकीय शिक्षकों के बराबर वेतन पाने के हकदार होंगे। एस.ई.सी.एल, अपनी प्रबंधन समिति के ज़रिए, 1996 तक शासकीय विद्यालय के शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते दे रहा था। जब साल 1996 में शासकीय शिक्षकों के वेतनमान में बदलाव किया गया, तो प्रबंधन समिति ने वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी करने से मना कर दिया, जिसके बाद इसी तरह की स्थिति वाले एक व्यक्ति ने रिट याचिका दायर की, जिसका रिट याचिका (सिविल) क्रमांक-1805/2007 है, जो आज निराकृत की जा रही याचिकाओं में से एक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री नायर ने कथन किया कि एस.ई.सी.एल की यह संविदात्मक ज़िम्मेदारी है कि वह दूसरे शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के बराबर वेतन और दूसरे भत्ते दे। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने विद्यालय की प्रबंधन समिति को एक कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी/4) जारी किया था कि शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन और भत्ते न देने के कारण दी गई मान्यता क्यों रद्द न की जाए। विद्यालय प्रबंधन ने नोटिस का जवाब देने के बजाय, विद्यालय के प्राचार्य से इसका जवाब देने को कथन किया, जिसका जवाब दिनांक 26.08.2008 को दिया गया (अनुलग्नक पी/5)। श्री नायर ने आगे कथन किया कि वेतन और भत्तों में पुनरीक्षण न होने का विवाद 1996 से इस न्यायालय में लंबित है, और इसकी जानकारी उत्तरवादी बोर्ड को भी है। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा कोई भी निर्णय लेने से पहले, उत्तरवादी बोर्ड विद्यालय को दी गई मान्यता

रद्द नहीं कर सकता था। उत्तरवादी बोर्ड के इस कृत्य के कारण, छात्रों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय को दी गई मान्यता तभी वापस ली या रद्द की जा सकती है जब ऐसी मान्यता की शर्तों का उल्लंघन हो। विद्यालय को दी गई मान्यता के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं जुड़ी है कि शिक्षकों को शासकीय शिक्षकों के बराबर वेतन और भत्ते दिए जाएं। इसलिए, उत्तरवादी बोर्ड के पास यह कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्तागण का यह भी कहना है कि राज्य ने 1994 में मान्यता देने और वापस लेने के नियमों में संशोधन किया था, जिसमें वेतन का भुगतान या वेतन की दर तय करना इन नियमों में मान्यता देने की शर्त नहीं है। इसलिए, 14.08.2008 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी /1) रद्द किए जाने योग्य है।

5. इस प्रकरण में, उत्तरवादी राज्य ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है।

6. उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री पटेल ने कथन किया कि विद्यालय प्रबंधन समिति और एस.ई.सी.एल के अध्यक्ष को 09.07.2008 को उचित नोटिस जारी किया गया था (अनुलग्नक पी/1)। इसके बाद, दिनांक 2.08.2008 को भी एक नोटिस जारी किया गया। कोई उचित जवाब न मिलने पर, आक्षेपित कार्रवाई की गई। उन्होंने आगे कथन किया कि विद्यालय प्रबंधन समिति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, छत्तीसगढ़ विनियमन, 1965 के विनियमन 73 का पालन नहीं कर रही है। विद्यालय के छात्रों को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बाँकीमोंगरा से संलग्न किया गया है, जो छात्रों के हित में है, और इस प्रकार, छात्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा, श्री पटेल ने आगे कथन किया कि शिक्षण समिति, घोरदेवा विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रायपुर रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4942/2008 के प्रकरण में दायर जवाब को इस याचिका का जवाब माना जाए, और इस याचिका के निराकरण के लिए उसे ही संज्ञान में लिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने पक्षकारों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना, और अभिवचनों और उनसे जुड़े दस्तावेज़ों का परीशीलन किया है।

8. यह स्पष्ट है कि विद्यालय प्रबंधन समिति या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिस पर विद्यालय को प्रबंधित करना अभिकथित है, उन्हें उत्तरवादी पक्षकार नहीं बनाया गया है।

9. याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 14.08.2008 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/l) को चुनौती देने का मुख्य आधार यह है कि मान्यता और गैर-मान्यता की शर्तें विनियम, 1965

के विनियम 54 से 69 के तहत दी गई हैं। विनियम, 1965 के विनियम 61 के तहत दी गई शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि प्राचार्य, हेड मास्टर, व्यायाखाता, शिक्षक, लिपिक और अन्य कर्मचारी का वेतनमान शासकीय संस्थानों में संबंधित कर्मचारियों के लिए स्वीकृत वेतनमान से कम नहीं होगा, जिसे बाद में "मान्यता विनियम, 1994" (अनुलग्नक पी/7) अधिसूचना द्वारा हटा दिया गया है। इस प्रकार, इस आधार पर कि विद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को शासकीय विद्यालयों के बराबर वेतन और भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं, यह उस शैक्षणिक संस्थान की मान्यता रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, जिसे उत्तरवादी-बोर्ड ने विनियम, 1965 के प्रावधानों के तहत मान्यता दी है। विनियम, 1965 का विनियम 73, अन्य विषयों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि उन शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी का वेतनमान, जिन्हें सहायता नहीं मिलती है, शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के वेतनमान से कम नहीं होगा।

10. यह स्पष्ट रूप से तय है कि विधि के किसी प्रावधान की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि कोई भी प्रावधान बेकार या बेमानी न हो जाए। इसलिए, अगर याचिका कर्ता का यह तर्क मान लिया जाता है कि शासकीय विद्यालयों के बराबर वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान की उपधारा धारा 61 से हटा दिया गया है, जो मान्यता और अमान्यता के बारे में है, तो विनियमन का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। 1965 के विनियमन के सभी प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. मान्यता देने के बाद, बोर्ड को शैक्षणिक संस्थानों को विनियमित करने की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, यह सुनिश्चित करके कि संस्थानों के शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने के लिए, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का उचित भुगतान किया जाए। इसलिए, भले ही वेतन भुगतान के संबंध में मान्यता की शर्तों के तहत प्रावधानों को हटा दिया गया हो, बोर्ड विनियमन, 1965 की धारा 73 के प्रावधानों के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम है। इसके अलावा, उत्तरवादी बोर्ड का सचिव मान्यता रद्द करने का आदेश पारित करने में पूरी तरह सक्षम है। यह नहीं माना जा सकता कि इसमें कोई कमी या अवैधता है, क्योंकि आक्षेपित आदेश अध्यक्ष के बजाय बोर्ड के सचिव ने हस्ताक्षर किए थे। बोर्ड ने पहले ही विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का ध्यान रखा है, जो विनियमन, 1965 के विनियमन 73 के दूसरे भाग का पालन करने में विफल रहा था।

12. विनियमन, 1965 के विनियमन 73 के दूसरे हिस्से के अवलोकन से ही यह स्पष्ट है कि एक वेतन मान होगा, जिसकी न्यूनतम सीमा शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के वेतनमान से कम नहीं होगा। इसमें बराबर वेतन और भत्ते की बात नहीं है, बल्कि सिर्फ़ वेतनमान की बात है, जो शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के वेतन मान से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह, विद्यालय प्रबंधन समिति या विद्यालय को प्रबंधित करने वाली सोसाइटी को बोर्ड से दोबारा संपर्क करने की स्वतंत्रता है, और वे संबंधित विद्यालय में काम करने वाले शिक्षक और कर्मचारी के वेतन मान के बारे में बता सकते हैं। अगर सुधार के बाद या किसी और वजह से, विद्यालय प्रबंधन समिति या सोसाइटी दोबारा बोर्ड से संपर्क करती है, तो बोर्ड विद्यालय के प्रकरण पर फिर से विचार कर सकता है।

13. इस प्रकरण में, तथ्य विचित्र हैं। शिक्षक, जो पांचवें वेतन आयोग के आधार पर सरकारी संस्थानों के बराबर वेतन और दूसरे भत्तों का दावा कर रहे हैं, विनियमन, 1965 के नियमों का पालन न करने पर विद्यालय की मान्यता रद्द करने का विरोध कर रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति या विद्यालय का प्रबंधन करने वाली सोसाइटी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वे उत्तरवादी बोर्ड के पास किए गए मान्यता रद्द करने के आदेश को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आए हैं। इस वजह से भी, इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. क्रमानुसार, ऊपर दर्शित कारणों से, याचिका खारिज की जाती है। वादव्ययों के विषय में कोई आदेश नहीं है।

सही/-
सतीश के अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

(अधिवक्ता अभिषेक पांडेय द्वारा अनुवाद किया गया)